राज्य के लोक सेवक ही नहीं मान रहे राज्य के कानून!!!

जिला आबकारी अधिकारी(जयपुर शहर) का दावा
"महारानियों की छतरियाँ" और
जैन समुदाय की नसीया धार्मिक/पूज्य स्थल नहीं!!!
इसलिए नहीं हटेगी इनके 200 मीटर दायरे मे चल रही शराब की दुकान!!!

"गब्बर वाईन्स"

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 के अनुसार छतरियाँ धार्मिक स्थल!!!
देवस्थान विभाग ने पत्र लिखकर चेताया कि महारानियों की छतरियाँ
देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी की संपदा!!!

लेकिन आबकारी अधिकारी जानबूझ कर देवस्थान विभाग के पत्र की कर रहे गलत व्याख्या!!!
आबकारी विभाग का हास्यास्पद कुतर्क!!!
देवस्थान के पत्र मे "महारानियों की छतरी" के आगे मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं,
इसलिए नहीं माना जाएगा इसे मंदिर/पूज्य स्थल!!!

आबकारी अधिकारी ठेकेदार विशेष को निजी फायदा पहुचाने के लिए
कर रहे अपने पद का दुरुपयोग!!!

आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी का है मामला

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/17 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 8 जुलाई 2022

शराब लाईसेन्सी को निजी लाभ पहुचाने के लिए जयपुर शहर के आबकारी अधिकारी कर रहे हिन्दू धार्मिक भावनाओं से खुलेआम खिलवाड़!!!

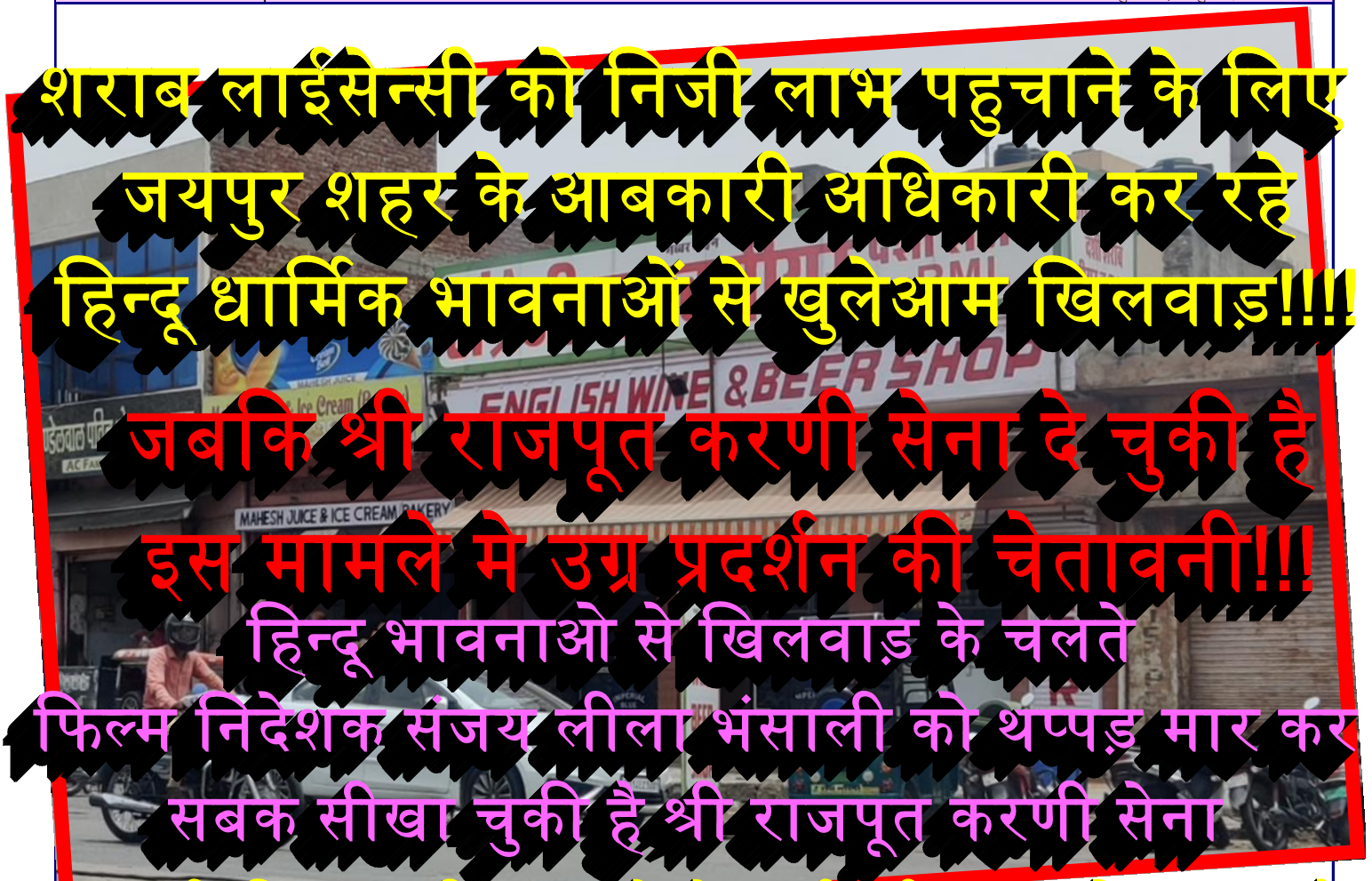

जबकि श्री राजपूत करणी सेना दे चुकी है इस मामले मे उग्र प्रदर्शन की चेतावनी!!!

हिन्दू भावनाओ से खिलवाड़ के चलते फिल्म निदेशक संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार कर सबक सीखा चुकी है श्री राजपूत करणी सेना

आबकारी विभाग की करतूतों से कभी भी खड़ा हो सकता है जनाक्रोश और बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था की स्थिति!

आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी का है मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है आमेर रोड पर चल रही गब्बर वाईन्स का मामला?

हमारे द्वारा पूर्व मे खुलासा किया गया था कि किस प्रकार एक नहीं बल्कि तीन तीन धार्मिक स्थलो जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"**,विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाली **"महारानियों की छतरियाँ"** और **"श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"** के 200 मीटर के दायरे मे नियम विरुद्ध "गब्बर वाईन्स" नाम से लाईसेन्सी तुषार चौधरी द्वारा दुकान संख्या 7,8,9 योजना -A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर कम्पोजीट शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है|

इस मामले मे हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 062202712840490 दिनांक 08/06/2022 के क्रम मे जवाब देते हुए आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व,कर्णिका मेहता द्वारा अपने पत्रांक 1589 दिनांक 30/06/2022 द्वारा रटा-रटाया जवाब दिया गया कि उनके द्वारा **पूर्ण संतुष्टि एवं जांच के उपरांत ही राजस्व हित मे** इस दुकान की अनुशंसा कर,विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है|इसके साथ ही अपने पत्र मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह गलत और भ्रामक तथ्य देकर कि मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद मे उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है|मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है|

जबकि वास्तविकता मे तीनों धार्मिक स्थल उक्त मदिरा दुकान से 200 मीटर के अंदर अवस्थित है|

पहले दिया गब्बर वाईन्स को हटाने का आश्वासन लेकिन दुकान हटाने की बजाय लिखी देवस्थान विभाग को चिट्ठी!!!

अपने जवाब मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह तथ्य भी प्रमुखता से उल्लेखित किया है कि मौका जांच मे कोई जनविरोध उजागर नहीं हुआ है|लेकिन आप को बता दें कि मीडिया मे मामला उजागर होने के बाद कई धार्मिक समुदायो मे रोष व्याप्त हो गया है और श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने 7 दिनों मे दुकान को अन्यंत्र स्थानांतरित नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है|

लेकिन आबकारी विभाग को शायद इसकी परवाह नहीं है|श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना

की उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद हरकत मे आए आबकारी विभाग के आला अधिकारियों ने दुकान को हटाने का आश्वासन तो दिया लेकिन इस आश्वासन को अमलीजामा पहनाने की बजाय आबकारी विभाग के अधिकारी पुनः मामले की लीपापोती मे लग गए|

मामले मे लीपापोती करने के लिए कर रहे देवस्थान विभाग से चिट्ठीबाजी

फ़र्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर इस मामले मे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना द्वारा दी गयी उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद मामले मे लीपापोती करने और मामले को लंबा खींचने की नियत से जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा पत्र लिखकर "मंदिर श्री महारानियों की छतरियों और श्योजी गोधा जी नसीया के देवस्थान विभाग मे रजिस्टर्ड मंदिर होने की सुंचना बाबत दिनांक 21/06/2022 को पत्र लिखा गया|जबकि जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे संधारित मंदिरो की सूची मे 41 नंबर पर महारानियों की छतरियो को मंदिर श्री महारानियों की छतरियो उर्फ ईश्वरजी की छत्री के रूप मे इंद्राज किया गया है|

इस पत्र के जवाब मे देवस्थान विभाग,जयपुर के सहायक आयुक्त (प्रथम) द्वारा जवाब दिया गया कि महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी की सम्पदा है,जिसमे पूर्व महाराजा व महारानियों की छतरियाँ स्थापित है|साथ ही यह भी बताया कि श्योजी गोधाजी की नसिया देवस्थान विभाग सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अंतरगर्त पंजीकृत प्रन्यास है|

लेकिन इस पत्र मे देवस्थान विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर मौखिक रूप से यह हास्यास्पद कुतर्क देने से बाज नहीं आ रहे है कि देवस्थान विभाग के पत्र मे कहीं मंदिर का हवाला नहीं दिया गया है|अतः महारानियों की छतरियों को मंदिर/पूज्य स्थल नहीं माना जाएगा|

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की उग्र आंदोलन की चेतावनी,दुकान नहीं हटाई तो जलेगी अद्दे-पव्वों की होली

इस मामले मे महिपाल सिंह मकराना द्वारा चेतावनी दी गयी है कि आबकारी विभाग के अधिकारी 20-50 हजार रुपए की घूस के लालच मे छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर शहर को शराब नगरी बनाने पर तुले है जिसके चलते गली-मोहल्लो मे धार्मिक स्थलो,स्कूलो,होस्पिटलों के पास भी शराब की दुकान खोलने से गुरेज नहीं कर रहे है|उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 07 दिन मे महारानियों की छतरियों के पास स्थित गब्बर वाईन्स नाम से चल रही शराब की दुकान को नहीं हटाई गयी तो आबकारी विभाग द्वारा बेचे जाने वाले अद्दे-पव्वों की दुकान के बाहर ही होली जलायी जाएगी|

क्या कहते है नियम?

क्या है राजस्थान आबकारी नियम 1956 का नियम 75 (2)

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75(2) के अनुसार देशी मदिरा,विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों,सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानो,अस्पताल,**पुजा स्थल**,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,कारख़ाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अंदर अवस्थित नहीं होगी|

साथ ही इसके स्पष्टीकरण संख्या 1 मे यह भी बताया गया है कि नियम 75 के उपनियम(2) के उद्देश्य के लिए पुजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध मे प्रतिबंध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो मे केवल उन्ही स्थानो के लिए है जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे रखी जाने वाली सूची मे वर्णित है|

अपने एक आदेश मे आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे रखी जाने वाली सूची को प्रत्येक वर्ष देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड की सूची के अनुसार अद्यतन करना आवश्यक होगा|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगणना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

क्या है राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम 1954 मे धार्मिक भवन और स्थल को स्पष्ट परिभाषित किया गया है|एक्ट की धारा 4(1)(2) के अनुसार भवन और स्थल को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार **' building '** means a house, shop, hut, shed or other structure or enclosure, whether roofed or not, of whatsoever material constructed and includes every part thereof, all walls varandahs, platforms plinths, door steps and the like and a tent or other portable and merely temporary shelter;

'place ' means any open space which is not a building;

इसी के साथ धारा 4(5) मे **धार्मिक** शब्द को परिभाषित किया है जिसके अनुसार;

'religious' when used with reference to a building or place, signifies

(a) that such building is used or intended to be used for the purpose of religious worship or instruction, or offering prayers (which include Bhajan, KIrtan, Stuti or Namaz) or performance of any religious rites by persons of or belonging to any religion, creed, sect or class such as temple, mosque, church, **chhatri,** dargah, khangah, mutt, takiya or the like. or

(b) That such place is likewise used or intended to be used.

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल 1954 के अनुसार धार्मिक छतरी धार्मिक भवन/स्थल के रूप मे परिभाषित

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल 1954 से स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक छतरी को धार्मिक भवन/स्थल के रूप मे माना जाएगा| लेकिन इसके बावजूद जयपुर-शहर, आबकारी विभाग के अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि महारानियों की छतरी का धार्मिक स्थल/भवन के रूप मे कोई वजूद है|

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम- 1954

Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954

(Act No. 18 of 1954)

RJ121

(Received the assent of the President on the 15th day of August, 1954)

An Act to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public places for religious purposes.

Whereas with a view to avoiding a breach of the public peace and tranquility likely to arise from disputes between different sections of the people of [State of Rajasthan], it is expedient to regulate the construction of public religious buildings and restrict the use of public places for religious purposes. It is hereby enacted as follows-

1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called the Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954.

[(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.]

(3) It shall come into force on the date of its first publication in the [Official Gazette].

[**2.** .....]

[**3.** .....]

4. Definition - In this Act, unless the context otherwise requires-

(i) *'Board'* means the Board of Revenue for Rajasthan established and constituted under the Taw for the time being in force];

(ii) *'building'* means a house, shop, hut, shed or other structure or enclosure, whether roofed or not, of whatsoever material constructed and includes every part thereof, all walls, varandahs, platforms plinths, door steps and the like and a tent or other portable and merely temporary shelter;

[(iii) .....]

(iv) *'place'* means any open space which is not a building;

(v) *'public'* used with reference to a building or place signifies that such building or place, whether or not acquired, constructed and maintained by or at the expense of some specified person or body of persons is not the private and personal property of such person or body and is open to the use and enjoyment of the public in general or of a particular class or section thereof for the purpose, if any, for which if may have been set apart;

(vi) *'religious'* when used with reference to a building or place, signifies

(a) that such building is used or intended to be used for the purpose of religious worship or instruction, or offering prayers (which include Bhajan, Kirtan, Stuti or Namaz) or

performance of any religious rites by persons of or belonging to any religion, creed, sect or class, such as temple, mosque, church, chhatri, dargah, khangah, mutt, takiya or the like, or

(b) that such place is likewise used or intended to be used.

5. Restrictions on use of public places for religious purposes - (1) No person shall use any public place-

(a) as a permanent religious place, or

(b) save with the previous written permission of the Collector obtained in the prescribed manner, as a temporary religious place.

(2) Nothing in this section shall apply to cremation grounds and burial places or to the holding of functions or the taking out of processions, in connection with deaths or marriages or to other purely social and secular functions or to religious processions.

6. Constructions etc. of public religious buildings - (1) No person shall, without first obtaining the written permission of the Collector-

(a) construct any public religious building; or

(b) convert any private or public building or place into a public religious building.

Explanation. - The temporary use of a building or place for religious purposes on occasions such as Holi, Moharram and the like shall not be deemed to be the conversion thereof into a public religious building.

(2) A person desirous of obtaining permission for any of the purposes mentioned in sub-section (1) shall first obtain permission from any local authority or officer having jurisdiction over the area where the building or place in question lies and thereafter such person shall apply to the Collector for the requisite permission in the prescribed manner.

7. Procedure of Collector - (1) When an application under Sec. 5 of Sec. 6 is prescribed to the Collector in the prescribed manner, he may, after making such inquiry as he may think necessary, either disallow the application or grant the requisite permission unconditionally or with such conditions as to security or otherwise as he may consider reasonable in the circumstances of each case.

(2) The order of the Collector passed under sub-section (1) shall be communicated in writing to the applicant and if the latter does not receive such communication within four weeks in the case of an application under Section 5 or within three months in case of an application under Section 6, calculated from the date on which such application was received in the office of the Collector, the applicant shall be deemed to have obtained the permission required by Section 5 or Section 6 as the case may be.

8. Appeals - (1) An appeal shall lie, and may be brought in the prescribed mode to the [revenue appellate authority] under sub-section (1) may within 90 days from the date of such decision, appeal to the Revenue Board and the decision of the Board in an appeal under this section shall be final.

9. Jurisdiction of courts barred - An order made under this Act by a Collector or on an appeal by a [revenue appellate authority] or Revenue Board shall not be liable to be called in question in any civil court.

आखिर कौन चला रहा है आबकारी विभाग मे हिन्दी की पाठशाला?

आबकारी विभाग के इतिहास मे यह पहली बार हो रहा है कि संबन्धित आबकारी निरीक्षक अपने आला अधिकारियों पर हावी हो रहे है|आबकारी विभाग मे संबन्धित आबकारी निरीक्षकों द्वारा ही नियमों मे हेर-फेर से अस्पतालो,स्कूलो, धार्मिक स्थलो के पास शराब की दुकानों की लोकेशन पास करने का जबरदस्त खेल खेला जा रहा है और इस पूरे खेल मे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षकों को मौन स्वीकृति प्रदान की जा रही है|इस मामले मे भी स्पष्ट कानूनी परिभाषाओ के बावजूद संबन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने आला अधिकारियों को हिन्दी का पाठ पढ़ा कर,मंदिर-छतरी शब्द की विवेचना की जा रही है और जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर द्वारा उस पर आँख मींच कर,मोहर लगाई जा रही है|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :- 1589 दिनांक :- 30-06-22

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषयः- राजस्थान सम्पर्क शिकायत सं.06220271284049O के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्राप्त परिवाद के संदर्भ में निवेदन है कि बॉर्ड सं. 12(H),21(H),22(H),26(H),76(H),की मदिरा दुकान अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी आबकारी नियमों की पालना में पूर्ण संतुष्टी एव जाँच के उपरान्त राजस्व हित में अनुशंषा कर विभागीय द्वारा स्वीकृत की गई है। मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद में उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है। न ही मदिरा दुकान की मौका जाँच में कोई जनविरोध उजागर हुआ है। मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है अतः समीपस्थ मदिरा दुकानत के संचालकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अनावश्यक परिवाद पेश किये जा रहे प्रतीत होते है।

अतः परिवाद के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया,

(कर्णिका मेहता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

दिनांकः- 30/6/22

कमांकः- सामान्य/देव/2022/ 1282

वास्ते :-

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर पुर्व।

विषय :-मदिरा दुकान नम्बर 1 वार्ड नम्बर 12, 21, 22, 26, 76 हैरिटेज अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी अवस्थित रामगढ मोड वार्ड संख्या 21 जयपुर हैरिटेज के समीपस्थ महारानियों की छतरियों एवं श्योजी गोधा जी नसियां के देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिर की सूचना के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र कमांक 1575 दिनांक 21.06.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

1. महारानियों की छतरियां देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी की संपदा है जिसमें पूर्व महाराजा व महारानियों की छतरियां स्थापित है।
2. श्योजी गोधाजी की नसियां देवस्थान विभाग सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर।

6/7/2022

मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर
दूरभाष नम्बर :-0141-2614404
ई-मेल आई.डी. ac.jaipur1.dev@rajasthan.gov.in

देवस्थान विभाग द्वारा आबकारी विभाग को मंदिर श्री महारानियों की छत्रियाँ एवं श्योजी गोधजी की नसिया के बारे मे दिया गया स्पष्टीकरण

edevasthan.rajasthan.gov.in/Forms/Mandir_AdvSearch.aspx?menu_Id2=5yPS0X+3y%2fw%3d

सर्च आधारित रिपोर्ट | विभाग अनुसार विकास कार्य | मंदिरों के विकास पर कुल राशि | व्यय एवं मांग का विवरण | किराए योग्य परिसंपत्तियाँ | पर्यवेक्षणाधीन पंजीकृत प्रन्यास | विभिन्न श्रे
भवन मरम्मत हेतु आवेदन प्रपत्र

यूनिक कोड	11623		
श्रेणी	-----चुनिए -----	मुख्य मूर्ति रूप देवता	-----चुनिए -----
निर्माणकालखण्ड	-----चुनिए -----	निर्माण वर्ष	
निर्माण शैली	-----चुनिए -----	स्तर	-----चुनिए -----
राज्य	-----चुनिए -----	जिला	
रिपोर्ट टाइप	मंदिर सूचना		

Search | Reset | Export To Word | Export To Excel

क्रम स.	यूनिककोड	मंदिर का नाम	मंदिर का नाम (अंग्रेजी)	राज्य	जिला	तहसील/पं समिति/शहर/गाँव	पिनकोड	मंदिर का क्षेत्र	श्रेणी	मुख्य मूर्ति रूप देवता
1	11623	मंदिर श्री महारानी की छत्रिया उर्फ ईश्वर जी की छत्री	Maharani Ki Chhatriyaan alias Ishwar ji ki Chhatri	राजस्थान	जयपुर	जयपुर		शहरी	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	सीताराम

मंदिर श्री महारानी की छतरियाँ उर्फ ईश्वर जी की छतरी मे विराजित सीताराम भगवान का मंदिर

देवस्थान विभाग,राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर श्री महारानी की छतरियाँ उर्फ ईश्वर जी की छतरी राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर घोषित है|जिन्हे अधिसूचना क्रमांक 41 पर पंजीकृत कर रखा है|इतना ही नहीं इस मंदिर मे सीताराम भगवान मुख्य देवता के रूप मे विराजित है|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर जवाब देंगे कि उनके कार्यालय मे संधारित धार्मिक/पुजा स्थलो की सूची मे मंदिर श्री महारानियों की छतरी उर्फ ईश्वरजी की छत्री का नाम है या नहीं?

2. क्या जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर इस बात का जवाब देंगे कि सबकुछ जानते-बुझते भी क्यूँ इस मामले को तूल देने के लिए देवस्थान विभाग को चिट्ठी लिखी गयी?

3. जब देवस्थान विभाग द्वारा अपने पत्र मे स्पष्ट कर दिया गया है कि महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी की सम्पदा है,जिसमे पूर्व महाराजा व महारानियों की छतरियाँ स्थापित है|उसके बावजूद क्यूँ इसमे मंदिर शब्द नहीं होने का हवाला देकर तुषार चौधरी की कम्पोजीट शराब की दुकान को हटाने से इंकार किया जा रहा है?

4. यदि देवस्थान विभाग मंदिरो को अपनी संपदा नहीं बताएगा तो क्या आबकारी विभाग की शराब की दुकानों को अपनी संपदा बताएगा?क्या यही है आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कोमनसेन्स?

5. आखिर जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर किसके कहने पर हिन्दी की पाठशाला चला रहे है?

6. लाईसेन्सी तुषार चौधरी की आड़ मे इस दुकान को चलाने वाले असली ठेकेदार कौन है?कौन है गुलाम हुसैन,आमिर और सिकंदर?

7. ***कौन है वह लड़के जो आबकारी विभाग और देवस्थान विभाग के अधिकारियों को मोटी घूस देकर छतरियों को मंदिर नहीं साबित करने का षड्यंत्र रच रहे है?***

8. यदि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग के अनुसार मंदिर नहीं है तो क्यूँ इसे राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरो की सूची मे 41 नंबर पर बताया जा रहा है?

9. क्या यह सही नहीं है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियो मे सीताराम भगवान देवता के रूप मे विराजित है?

10. आखिर कौन कर रहा है मंदिर श्री महारानियों की छतरियो को धार्मिक/पुजा स्थल के रूप मे नहीं मानने का षड्यंत्र?

11. क्या राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार किसी प्रकार का जनाक्रोश नहीं होने पर,किसी धार्मिक स्थल से 200 मीटर के अंदर किसी शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत की जा सकती है?

12. आखिर क्यूँ आबकारी विभाग के आला अधिकारी श्री राजपूत करणी सेना की उग्र चेतावनी को हल्के मे ले रहे है?

13. क्या आबकारी विभाग के आला अधिकारी कागजी जनाक्रोश और असली जनाक्रोश मे अंतर करना भूल गए है?

14. यदि आबकारी विभाग और देवस्थान विभाग मंदिर श्री महारानियों की छत्रियों को हिन्दू आस्था का धार्मिक एवं पूज्य स्थल नहीं मानता है,तो उनकी नजरों मे इस स्थान का क्या महत्व है?

15. क्या जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर को राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 की जानकारी है?